न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।

पिपराही थाना काण्ड संख्या–297 / 2020

दिनांक 04–01–2021

काराधीन अभियुक्तगण 1. मधुरेन्द्र कुमार एवं 2. दिनेश ठाकुर, जिन्हें पिपराही थाना कांड संख्या 297 / 2020 अन्तर्गत धारा 30(ए) एवं 37(सी) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के संदर्भ में दि0 01-01-2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र साह, द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदक पर लगाया गया अभियोग सरासर झूठा एवं बनावटी है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण दि0 01-01–2021 से कारा में हैं। आवेदक सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके प्रपलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक सूरज कुमार गुप्ता दि० 31–12–2020 को समकालीन अभियान के क्रम में सशस्त्र बल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ शराब काराबारियों की गिरफ्तारी हेतु भ्रमण कर रहे थे तो गुप्त सूचना मिली कि ग्राम पकरी मे रामेश्वर राय के घर में सशस्त्र बलों के साथ घेराबंदी किया तो देखा कि एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का झोला लिए हुए बैठा था, तथा दो आदमी लड़खड़ा रहे थे और हल्ला हंगामा कर रहे थे। ये लोग पुलिस को देखकर भाग रहे थे, तो पुलिस बल के सहयोग से इन्हें पकड़ लिया गया इनमें से एक व्यक्ति झोला लिये हुआ था जिसने अपना नाम रामेश्वर राय बताया। उसकी झोले की तलाशी लेने पर 12 बोतल प्रत्येक में 300 एम0एल0 का कुल 3.6 लीटर नेपाली शराब बरामद हुआ। शेष दोनों अभियुक्त ने अपना नाम मधुरेन्द्र कुमार और दिनेश ठाकुर बताया। उक्त पकड़ाये गए तीनों व्यक्तियों को बारी-बारी से ब्रेथ एनालाईजर मशीन से जांच किया गया तो रामेश्वर राय के पास से 72एम.जी. /100एम.एल. मधुरेन्द्र के पास 3.45एम.जी. / 100एम.एल. और दिनेश ठाकुर की रिपोर्ट 49एम.जी. / 100एम.एल. पाया गया, तीनो व्यक्तियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया, चिकित्सीय रिपोर्ट में शराब सेवन की पुष्टि हुई। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद का नामजद अभियुक्तगण है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण पर शराब पीने एवं हल्ला हंगामा करने का आरोप है। आवेदक अभियुक्तगण दि0 01–01–2021 से कारा में हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विवेचित तथ्यों एवं आवेदक अभियुक्तगण के कारा में बिताये अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण 1. मधुरेन्द्र कुमार एवं 2. दिनेश ठाकुर, के द्वारा मो0–10,000 / - दस हजार रुपया के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, कि अभियुक्तगण के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं 2. आवेदक अभियुक्तगण इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक– 04-01–2021